## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE **RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO \*55** ANSWERED ON – 25.07.2023

#### COLLECTION OF TAXES FROM TOBACCO AND ALLIED PRODUCTS

\*55. SMT. SULATA DEO:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

- (a) the share of taxes collected from tobacco and allied products in the Gross Tax Revenue of Government for the financial year 2022-23;
- (b) whether the share has been increased from the previous financial year;
- (c) the States/UTs from which maximum taxes have been collected in lieu of the said products; and
- (d) whether Government seeks to divert a part of the proceeds towards the development of the healthcare sector?

#### **ANSWER**

## MINISTER OF FINANCE SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN

(a) to (d): A statement is placed on the Table of the House.

# STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 55 RAISED BY SMT. SULATA DEO FOR 25TH JULY, 2023, ON COLLECTION OF TAXES FROM TOBACCO AND ALLIED PRODUCTS:

- (a): The share of taxes [inclusive of GST, Compensation Cess, Basic Excise Duty, and National Calamity Contingent Duty (NCCD)] collected from Tobacco and Tobacco products covered under Tariff Headings 2401, 2402, 2403 and Pan Masala in the Gross Tax Revenue (Revised Budget Estimates for FY 2022-23) for the financial year 2022-23 is around 2.39%.
- **(b):** The share in Gross Tax Revenue for FY 2022-23 (Revised Budget Estimates for FY 2022-23) in comparison to Gross Tax Revenue for FY 2021-22 (Actual Budget figures for FY 2021-22) has increased by 0.1%.
- (c): In FY 2022-23, the States from which maximum taxes have been collected from the said products includes Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra.
- (d): Taxes collected from tobacco and allied products, similar to taxes collected from other sources, form part of the overall Gross Tax Revenues (GTR) of the Government of India and are used to fund all schemes and programmes of the Government. In Budget 2023-24, an amount of ₹86,175 Crores has been allocated to fund the requirements of the Department of Health and Family Welfare. This will be met from both capital and revenue receipts of the Government of India.

\*\*\*

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग <u>राज्य सभा</u> तारांकित प्रश्न सं. \*55

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 जुलाई, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

"तंबाकू और सह उत्पादों से कर संग्रह"

# 55\*. श्रीमती सुलता देव:

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार के सकल कर राजस्व में तंबाकू और संबद्ध उत्पादों से संग्रहीत करों का हिस्सा कितना है;
- (ख) क्या पिछले वितीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिस्सेदारी बढ़ी है;
- (ग) वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनसे उक्त उत्पादों के बदले अधिकतम कर संग्रहीत किया गया है; और
- (घ) क्या सरकार इनसे प्राप्त आय का एक हिस्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है?

## उत्तर वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"तंबाकू और सह उत्पादों से कर संग्रह" पर दिनांक 25 जुलाई 2023 को उत्तरार्थ श्रीमती सुलता देव द्वारा राज्यसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 55 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

- (क) वितीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल कर राजस्व (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान) में टैरिफ शीर्षक 2401, 2402, 2403 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू और तंबाकू उत्पादों और पान मसाला से एकत्र किए गए करों [जीएसटी, प्रतिपूर्ति उपकर, मूल उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) शामिल] का हिस्सा लगभग 2.39% है।
- (ख) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल कर राजस्व (वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक बजट आंकड़े) की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल कर राजस्व (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान) में हिस्सेदारी 0.1% बढ़ गई है।
- (ग) वित्त वर्ष 2022-23 में जिन राज्यों से उक्त उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला गया है उनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं।
- (घ) तंबाकू और संबद्ध उत्पादों से एकत्र कर, अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए करों के समान, भारत सरकार के समग्र सकल कर राजस्व (जीटीआर) का हिस्सा है और इसका उपयोग सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को निधि देने के लिए किया जाता है। बजट 2023-24 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹86,175 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसे भारत सरकार की पूंजी और राजस्व दोनों प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।

\*\*\*

SHRIMATI SULATA DEO: Sir, I would like to ask the hon. Minister about the share of taxes collected from tobacco and allied products and the gross tax revenue of the Government for the financial year 2022-23.

श्री पंकज चौधरी: माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों में जीएसटी, प्रतिपूर्ति उपकर, मूल उत्पाद शुल्क और एनसीसीडी से लगभग 62,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।...(व्यवधान)... 2022-23 में लगभग 72,789 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।...(व्यवधान)...

SHRIMATI SULATA DEO: Has the share been increased from the previous financial year? From which State and the Union Territory have the maximum taxes been collected in lieu of the said products?

श्री पंकज चौधरी: सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 56 ... (Interruptions).. Ms. Saroj Pandey ... (Interruptions)..